

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/125919/AGR/AGRA/3676/DD

दिनांक: 24-07-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SMT. SRIDEVI AWASIYA VIDYAPEETH** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO. 251/2, 723, 18/3, 23/1, 267, 61/1, VAMANPURA, JAINGARA, KIRAOLI, AGRA** तहसील - प्लाट एरिया **11560 sq.mt** कुल कवर्ड एरिया **2369.58** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	0	8 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SMT. SRIDEVI AWASIYA VIDYAPEETH** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **27-07-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BRIJESH CHAHAR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **SCHOOL** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-07-2024** से **28-07-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **SMT. SRIDEVI AWASIYA VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SMT. SRIDEVI AWASIYA VIDYAPEETH** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति के अनु सार यह प्रमाण पत्र मानचित्र मे इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग एवं फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation करना आवश्यक होगा I विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा विभाग से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा I सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा | उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये I

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)

Digitally Signed By
(ANIMESH SINGH)

[5BB871A7DA53146E73101151F3A0200904FE0168]

29-07-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-07-2024
स्थान : AGRA